भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 669

दिनांक 06 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

बैटरी स्वैपिंग संबंधी दिशानिर्देश

669. श्री तेजस्वी सूर्या:
श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह:
श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री शंकर लालवानी:
डॉ. विनोद कुमार बिंद:
श्री प्रताप चंद्र सारंगी:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा 2024 बैटरी स्वैपिंग संबंधी दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई रणनीति अपनाई गई है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन रणनीतिक रूप से अवस्थित हों:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देशभर के शहरों में उपलब्ध और कार्यरत ऐसे स्टेशनों की मौजूदा संख्या कितनी है: और

(ग) बैटरी-स्वैपिंग अवसंरचना के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका पर सरकार की परिकल्पना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 10 जनवरी, 2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से "बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और संचालन संबंधी दिशानिर्देश" जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों (बीएसएस) के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के विकास की सुविधा के लिए मानकों और प्रोटोकॉल को रेखांकित करते हैं। राज्य सरकारों को शामिल करते हुए इन दिशानिर्देशों को लागू करने वाली प्रमुख विशेषताएं हैं:-

(i) ऊर्जा के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति, जिसमें परिवहन, नगर प्रशासन और शहरी विकास सचिव और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हैं, राज्य स्तर पर बीएसएस अवसंरचना के कार्यान्वयन की योजना बनाएगी और उसकी निगरानी करेगी।

(ii) प्रत्येक राज्य बीएसएस के लिए विद्युत कनेक्शन की सुविधा हेतु डिस्कॉम और राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार एक राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) को नामित करेगा।

(iii) विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक केंद्रीय संचालन समिति, जिसमें संबंधित मंत्रालयों के सदस्य, राज्यों के प्रतिनिधि, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) शामिल हैं, समय-समय पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी।

(iv) दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए बीईई, डिस्कॉम और राज्य सरकार की संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगी।

बीईई के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 27 जनवरी, 2025 तक देश भर में 2611 बीएसएस स्थापित हैं। राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-क** पर है।

(ग) : इन दिशानिर्देशों में बैटरी स्वैपिंग अवसंरचना के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की भूमिका पर जोर दिया गया है। बीएसएस की स्थापना को गैर-लाइसेंसीकृत गतिविधि के रूप में नामित किया गया है, जिससे व्यवसायों की प्रक्रिया सरल हो गई है।

किफायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया है कि सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं को 1 रू. प्रति किलोवाट घंटे की दर से राजस्व-साझाकरण मॉडल पर सार्वजनिक भूमि उपलब्ध कराई जाए। निजी संस्थाओं के लिए 1 रू. प्रति किलोवाट घंटा की न्यूनतम कीमत पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, बीएसएस की स्थापना के लिए सरकारी भूमि से जुड़ी सार्वजनिक निविदाओं को प्रौद्योगिकी से अलग रखने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकारों को बीएसएस के लिए चौबीसों घंटे संचालन की अनुमति देने की सलाह दी गई है।

लो.स.अतारां.प्र.सं 669

अनुबंध-क

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थापित बैटरी स्वैपिंग स्टेशन

क्रम सं.	राज्य	बीएसएस की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2
2	बिहार	48
3	दिल्ली	878
4	हरियाणा	171
5	कर्नाटक	347
6	केरल	20
7	मध्य प्रदेश	2
8	महाराष्ट्र	24
9	ओडीसा	2
10	पंजाब	22
11	राजस्थान	104
12	तेलंगाना	146
13	उत्तर प्रदेश	839
14	उत्तराखंड	5
15	पश्चिम बंगाल	1
कुल		**2,611**

****